झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना– 06/2023 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, राँची।

विषयः– **राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में निर्माणाधीन तारामंडल के लिए चाहरदिवारी एवं गेट के निर्माण कार्य से संबंधित रू0 1,67,510/–(रू0 एक लाख सड़सठ हजार पाँच सौ दस) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा दुमका जिला में तथा जिला विज्ञान केन्द्र राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में तारामंडल का निर्माण कार्य किया रहा है। उक्त तारामंडल तथा प्रस्तावित जिला विज्ञान केन्द्र के सुरक्षा हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 08/योजना दिनांक 18.05.2023 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में निर्माणाधीन तारामंडल तथा प्रस्तावित जिला विज्ञान केंद्र के लिए चाहरदिवारी एवं गेट के निर्माण कार्य से संबंधित रू0 70,07,000/–(रू0 सत्तर लाख सात हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में निर्माणाधीन तारामंडल के लिए चाहरदिवारी के निर्माण कार्य सं संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2023–24 में 55,00,000/–(रू0 पचपन लाख) मात्र की राशि विभागीय आवंटनादेश सं0 20/बजट दिनांक 02.02.2024 के द्वारा विमुक्त की गई है। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 1870(नि0) दिनांक 21.07.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु अवशेष राशि रू0 1,67,510/–(रू0 एक लाख सड़सठ हजार पाँच सौ दस) मात्र की अधियाचना की गई है तथा पत्रांक 2628(नि0) दिनांक 13.10.2025 द्वारा उक्त राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है –

पत्रांक एवं तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
आवंटनादेश सं0 20/बजट दिनांक 02.02.2024	55,00,000.00	51,56,317.00

3. अतः उक्त के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका के परिसर में निर्माणाधीन तारामंडल के लिए चाहरदिवारी एवं गेट के निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू0 1,67,510/–(रू0 एक लाख सड़सठ हजार पाँच सौ दस) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष –06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।
विपत्र कोड – 43S42020279606010545 (स्कीम कोड़–0133)

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।

6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना– 06/2023 /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना– 06/2023/23/योजना /राँची, दिनांक– 21.11.2025
प्रतिलिपि :–योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/बजट पदाधिकारी/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/प्रबंध निदेशक, Creative Museum Designers (CMD), कोलकाता/प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.25
सरकार के प्रधान सचिव